राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 3340 / SEIAA/2022
Date: 16/3/22

प्रति,
मेसर्स मॉ नर्मदा स्टोन इन्टरप्राईजेज़, अधिकृत व्यक्ति अरूण कुमार अग्रवाल,
निवासी 26, कर्मशियल काम्पलेक्स, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी,
जिला कटनी (म.प्र.)

विषयः– प्रकरण कमांक 8957/2022 – परियोजना प्रस्तावक, मेसर्स मॉ नर्मदा स्टोन इन्टरप्राईजेज़, अधिकृत व्यक्ति अरूण कुमार अग्रवाल, निवासी 26, कर्मशियल काम्पलेक्स, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 26296 घन मीटर प्रति वर्ष खसरा नं. 151, रकबा 1.530 हेक्टेयर, ग्राम ताला, तहसील चांदिया, जिला उमरिया (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन।

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 709 वी बैठक दिनांक 07.03.2022 को चर्चा कर यह अभिलिखित किया गया ......

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 550वी बैठक दिनांक 16.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 550वी बैठक दिनांक 16.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार खनन क्षेत्र से 50 मीटर पर जलभराव संरचना एवं 150 मीटर पर पक्की सड़क होना परिलक्षित है। चूँकि माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 में पारित आदेश एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देशों दिनांक 09.07.2020 के परिपालन में मानव बसाहट/संवेदनशील क्षेत्र/राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग/पब्लिक रोड़/पुल/बांध/नदी/नहर इत्यादि में प्रस्तावित खनन क्षेत्र से नॉन ब्लास्टिंग खनन योजना के लिए 100 मीटर और ब्लास्टिंग खनन योजना के लिए 200 मीटर की प्रतिबंधित दूरी निर्धारित है।

अतः प्रकरण में उपरोक्तानुसार आदेश एवं निर्देशों के परिपालन में जलभराव संरचना एवं पक्की सड़क से प्रतिबंधित दूरी के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि खनन योग्य क्षेत्र की न्यूनतम उपलब्धता न होने का दृष्टिगत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत पर्यावरणीय अनापत्ति के आवेदन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जायें।

उपरोक्त निर्णय अनुसार आपके प्रकरण को निरस्त किया जाता है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 3341 /SEIAA/2022 दिनांक – 16/3/22

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला उमरिया (म.प्र.)
5. वनमंडलाधिकारी, जिला उमरिया (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली – 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016 ।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला उमरिया (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

o/c

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी